

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक 16 जून, 2010

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक संख्या:-3012/कल्याण/प्रगति दिनांक 04 नवम्बर, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान की धनराशि में निम्न तालिका के अनुसार अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	अलंकरण	एकमुश्त अनुदान (पूर्व में)	एकमुश्त अनुदान (वर्तमान)	वर्षिकी (पूर्व में)	वार्षिकी (वर्तमान)
1	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,27,000	5,00,000	4,600	30,000
2	सेना मेडल	23,000	5,00,000	4,800	24,000
3	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,27,000	4,00,000	4,200	24,000
4	युद्ध सेवा मेडल	36,000	3,00,000	3,800	18,000
5	मेन्सन-इन-डिस्पैच	13,000	2,50,000	3,000	12,000

- पूर्व में जारी शासनादेश संख्या:-415/XVII(2)/2006-09(43)/2003 दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
- शेष शर्तें एवं प्राविधान कार्यालय ज्ञाप:-31/XVII(2)/2007-09(43)/2003 दिनांक 23 जनवरी, 2008 एवं शासनादेश संख्या-405(ए)/XVII(2)/2007-09(43)/2003 दिनांक 22 जुलाई, 2008 अनुसार ही लागू रहेंगे।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:-165(P)/XVII-3/2010 दिनांक 09 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 253 (1)/ XVII-3 / 10-09(43) / 07 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
Om Prakash

(ओम प्रकाश)
सचिव।

विवरण (नामों के साथ)	किंमत (₹ में)	संयुक्त नाम (नामों के साथ)	संयुक्त किंमत (₹ में)	विवरण	क्रमांक
000.08	008.1	000.00.8	000.12.1	सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण	1
100.45	008.1	000.00.2	000.45	सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण	2
000.45	008.1	000.00.1	000.12.1	सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण	3
010.81	008.2	000.00.1	000.80	सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण	4
000.57	008.1	000.00.2	000.57	सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण	5

1. कोड 0005 \ (EM)00-1005 \ (5)IVX \ 18-आवक सर्वेक्षण विभाग में प्रेषित।
 2. कोड 0005 \ (EM)00-1005 \ (5)IVX \ 18-आवक सर्वेक्षण विभाग में प्रेषित।
 3. कोड 0005 \ (EM)00-1005 \ (5)IVX \ (7)201-आवक सर्वेक्षण विभाग में प्रेषित।
 4. कोड 0105 \ (5)IVX \ (9)281-आवक सर्वेक्षण विभाग में प्रेषित।

उपरोक्त
(आकर संख्या)
संख्या